Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
May 2024 5(5), 81–92

IMPACT OF MAHATMA GANDHI NREGA ON THE EMPOWERMENT OF RURAL WOMEN IN RAJASTHAN

राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर महात्मा गांधी नरेगा का प्रभाव

Shyoji Lal Bairwa [1], Dr. Sulochana Meena [2]

[1] Researcher and Associate Professor, Economics, Government Post Graduate College, Tonk, Rajasthan, India
[2] Research Director and Principal, Government Girls College, Tonk, Rajasthan, India

Corresponding Author
Shyoji Lal Bairwa, shyojilal@gmail.com

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i5.2024.1599

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

ABSTRACT

English: In the development of any nation, the participation of every individual, class, caste and community of the society is considered important. In this concept of development, we cannot ignore the participation of women. If the women of a country are cultured, civilized and progressive in various fields, then there is no need to know what is the level of development in that country? History is a witness to the fact that the participation of women in the development of the nation has presented a standard example to the whole world. Women empowerment means the freedom of women to take decisions in social, economic, political, legal and mental fields equal to men in the cultural background of their family, community, society and nation. In a developing country like India, where the role and status of women was pathetic from the beginning, it has not improved even today, but from time to time, meaningful efforts have been made for their welfare and respect by scholars and government efforts. MNREGA is a successful step of those meaningful efforts. Women empowerment is one of the important objectives of MNREGA. This program acts as a tool to change the scenario and lifestyle of rural women. Under MNREGA, it is said that more than one-third of the distribution of work should be done by women. The sole purpose of having such a system is to promote women empowerment, to raise the morale of women and make them self-reliant. Schemes like MNREGA are promoting the feeling of empowerment in women by making them self-reliant.

Hindi: किसी भी राष्ट्र के विकास में समाज के प्रत्येक व्यक्ति वर्ग, जाति, समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण मानी जाती है। विकास की इस अवधारणा में हम महिलाओं की सहभागिता को नजर अंदाज नहीं कर सकते। जिस देश की महिलाएँ सुसंस्कृत हैं, सभ्य है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील हैं तो यह ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है कि उस देश में विकास का स्तर क्या है? इतिहास इसका साक्षी है कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं की सहभागिता ने पूरे विश्व के सामने एक मानक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को पुरूषों के बराबर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैधानिक एवं मानसिक क्षेत्रों में उसके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतन्त्रता से है। भारत जैसे विकसषील देष में जहाँ महिलाओं की भूमिका एवं स्थिति प्रारम्भ से ही दयनीय थी आज भी सुधर नहीं पायी है, लेकिन समय-समय पर विद्धत्जनों एवं सरकारी प्रयासों द्वारा उनकी भलाई एवं सम्मान के लिए सार्थक प्रयास किये है। मनरेगा उन्हीं सार्थक प्रयासों का एक सफल कदम है। महिला सशक्तिकरण मनरेगा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के परिदृश्य और उनकी जीवनशैली में बदलाव के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। मनरेगा के अंतर्गत कहा गया है कि कार्यो के वितरण में एक तिहाई से अधिक हिस्सा महिलाओं का होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था रखने का एकमात्र उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, महिलाओं का मनोबल ऊँचा उठाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मनरेगा जैसी योजनाएँ महिलाओं को स्वावलम्बी बनाकर उनके अंदर सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा दे रही हैं।

Keywords: MNREGA, Women Participation, Women Empowerment, Socio-Economic Development, Self-Reliance, Awareness, Challenges, मनरेगा, महिलाओं की भागीदारी, महिला सषक्तिकरण, सामाजिक-आर्थिक विकास, स्वावलंम्बी, जागरूकता, चुनौतिया

1. प्रस्तावना

सुप्रसिद्व विचारक अरस्तू का कथन है- ''नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्धारित है।'' भारतीय चिंतन परम्परा के अन्तर्गत समाज में नारी का एक विषिष्ट, गौरवपूर्ण स्थान रहा है। सहस्त्राब्दियों पूर्व मनु ने लिखा था- जिस कुल में स्त्रियों का समादर होता है, वहां देवता निवास करते है। हमारी सभ्यता व संस्कृति में नारी को देवी जैसा माना गया। युगनायक स्वामी विवेकानन्द के अनुसार ''किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहां की महिलाओं की स्थिति।'' देखा जाए तो अधिकतर समाज इस पैमाने पर खरे नहीं उतरें। इसके उपरानत भी महिलाएं परिवार, समाज एवं राष्ट्र की रचना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिला की सुदृढ़ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत तथा मजबूत समाज की द्योतक होती है।

महिला सषक्तिकरण एक बहुआयामी धारणा है और इसका सम्बन्ध सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से जुड़ा है। महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ है-महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना। उन्हें सामाजिक पद, प्रतिष्ठा और न्याय प्रदान करना। महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वायत्तता होने पर और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की साझेदारी होने पर उन्हें सषक्त माना जाता है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का परिचय

ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने व ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले के बांदापल्ली ग्राम से किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम ग्रामीण परिवारों के जीवन से जुड़ा है और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कृतसंकल्प है। पहले चरण में वर्ष 2006-2007 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनिंदा अत्यन्त पिछड़े जिलों में इस योजना का कार्यान्वयन किया गया। राजस्थान में यह योजना प्रथम चरण में 5 पिछड़े जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़, करौली मे लागू की गई है। वर्ष 2007-2008 के दौरान इस योजना के दूसरे चरण का विस्तार देष के 130 अन्य जिलों में किया गया था। राजस्थान में यह योजना द्वितीय चरण में 6 अन्य जिलों टोंक, सवाईमाधोपुर, चितौड़गढ़, बाडमेर, जालौर, जैसलमेर में लागू की गई है। 1 अप्रेल 2008 से इस योजना को राजस्थान के सभी 33 जिलों सहित भारत के षेष 585 ग्रामीण जिलो में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत् ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को एक वर्ष में 100 दिनों का शारीरिक श्रमयुक्त रोजगार पाने का अधिकार है।

02 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम को संशोधित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। आशा की जाती है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ, ग्रामीण गरीबों के जीवन में एक नये युग का सूत्रपात होगा, ग्रामवासियों का सर गर्व से ऊपर उठेगा, महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा होगा, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आएगी और उन्हे समुचित विकास का माहौल मिलेगा। मनरेगा में एक तिहाई (1/3) महिलाओं को कार्य में प्राथमिकता देने से यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

3. शोध साहित्य का पुनरावलोकन

महिला सषक्तिकरण पर महात्मा नरेगा का प्रभाव पर कई अध्ययन किये गये हैं। यहां साहित्य समीक्षा में योजना शामिल होने के बाद ग्रामीण महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव और उनके विकास पर केंद्रित है।

1) Badodiya et al. (2011) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का गरीबी उन्मुलन के संदर्भ में अध्ययन किया। अध्ययन हेतु ग्वालियर जिले के मोरार ब्लॉक के 110 ग्रामीण लाभार्थी जो कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के थे, का चयन किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामो के मनरेगा में कार्य करने से लाभार्थियो की आर्थिक स्थिति में सार्थक सुधार हुआ। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि मनरेगा मे कार्य के दौरान अधिकारीयो से सपंर्क में आने से लाभार्थियों का शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, लाने सुविधा के बारे में जानकारी मे भी सार्थक वृद्धि हुई।
2) तृष्णा कलिता ने अपने लेख ‘‘नरेगा में महिलाओं की भागीदारी‘‘ में बताया है कि महिलाएं विभिन्न कारणों से नरेगा में काम करना पसंद करती हैं। सबसे पहले, यह स्थानीय रूप से उपलब्ध है। दूसरे, शोषण की सम्भावना कम होती है। तीसरा, काम के घंटों की नियमितता और पूर्वानुमेयता है। चैथा, ऐसे कार्य सामाजिक रूप से स्वीकार्य एवं सम्मानजनक हों। और अंत में, उन्हें अन्य कार्यों की तुलना में बेहतर भुगतान मिलता है। ग्रामीण लोगों को रोजगार की गारंटी देने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं काम करती हैं।
3) थॉमस, ईएम (2010) के अनुसार सभी महिला कर्मचारी मनरेगा कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनकी संतुष्टि का मुख्य कारण यह है कि आज उन्हें 100 दिन की नौकरी का आश्वासन दिया गया है। महिलाओं के जीवन पर मनरेगा का समग्र प्रभाव कई मायनों में काफी सकारात्मक है, चाहे वह उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाना हो, खाद्य सुरक्षा में योगदान देना हो, संकटपूर्ण प्रवासन को कम करने में मदद करना हो या न्यूनतम मजदूरी के बारे में बेहतर जागरूकता को बढ़ावा देना हो।

4. शोध के उद्देष्य

प्रस्तावित शोध विषय ’ राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रभाव पर शोधकार्य करने हेतु अनुसंधान से सम्बन्धित निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये है।

1) महिलाओं के सशक्तिकरण पर महात्मा गाँधी नरेगा के प्रभावों का अध्ययन करना।
2) मनरेगा में महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन एवं निराकरण करना।
3) मनरेगा की महिला लाभार्थियों की आय का विभिन्न मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन करना।
4) मनरेगा के माध्यम से महिला लाभार्थियों की संतुष्टि के स्तर को मापना।
5) महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत महिला श्रमिकों की भागीदारी दर को जानना और भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारको की पहचान करना।
6) महात्मा गाँधी नरेगा द्वारा योजना के प्रति जनता की जागरूकता का अध्ययन करना।
7) मनरेगा योजना के सफल संचालन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

5. परिकल्पना

प्रत्येक शोध कार्य कुछ परिकल्पनाओं पर आधारित होता है। यह परिकल्पना षोधकर्ता के अपने अध्ययन, अनुभव तथा विश्लेषण पर आधारित होती है। प्रस्तुत शोध विषय के संबंध में शोधकर्ता की अपनी कुछ परिकल्पनाएं इस प्रकार हैः-

1) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण महिलाओं के शहरों की ओर पलायन को रोकने में सहायक हुई है।

6. शोध प्रविधि

यह शोध राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर महात्मा गांधी नरेगा का प्रभाव से सम्बन्धित है। अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों समंकों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन का समग्र एवं निदर्शन:- किसी भी अनुसंधान के लिए प्रतिचयन एक महत्त्वपूर्ण चरण और षोध की आधारषीला होता है। अध्ययन में गहनता लाने हेतु राजस्थान के टोंक एवं बांसवाड़ा जिले का चयन किया गया है। टोंक जिलें की कुल 07 पंचायत समितियों (प.स. देवली, मालपुरा, निवाई, पीपलू, टोड़ारायसिंह, टोंक, उनियारा) में से 02 पंचायत समितियों (प.स. निवाई, एवं टोंक) एवं चयनित प्रत्येक पंचायत समिति से एक-एक गांव सोहेला (प.स. निवाई), मेन्दवास (प.स. टोंक) का चयन उद्देष्यपूर्ण निदर्षन पद्धति के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार बांसवाड़ा जिले की कुल 11 पंचायत समितियों (बांसवाड़ा, बागीदौरा, कुषलगढ़, सज्जनगढ़, तलवाड़ा, अरथुना, छोटी सरवन, आनन्दपुरी, गढ़ी, गांगड़तलाई, घाटोल) मे से 02 पंचायत समितियों (प.स. कुशलगढ़, एवं घाटोल) एवं चयनित पंचायत समिति से एक-एक गांव सज्जनगढ़ (प.स. कुषलगढ) खमेरा (प.स. घाटोल) का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के अनुसार किया गया है। गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन के लिए कुल 04 गांवों का चयन किया गया है, तथा प्रत्येक गांव से 50 अर्थात् कुल 200 महिला लाभार्थियों का चयन देव निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया।

समंक संकलन के स्त्रोंत एवं विधि:- प्रस्तावित शोध अध्ययन तथ्य-सामग्री संकलन के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है। प्राथमिक समंक संकलन हेतु महात्मा गाँधी नरेगा कार्यक्रम से लाभान्वित अलग-अलग उम्र और योग्यता वाली महिलाओं का चयन किया गया है। अध्ययन की विषयवस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय भाषा एक साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक समंक एकत्र करने के लिए उत्तरदाताओं के साथ साक्षात्कार आयोजित किया गया। अनुसूची द्वारा मूलभूत आधार शोध समाग्री, समंक व सूचनाओं का संग्रहण किया गया है। इनमें होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिए औसत, प्रतिशत आदि जैसे सरल सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग किया गया। द्वितीयक स्त्रोतों का संकलन विषय से सम्बन्धित लेखों, पुस्तकों, प्रतिवेदनों, पत्र-पत्रिकाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी आदि विभिन्न संस्थाओं से किया गया है।

7. राजस्थान में राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा

ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले से किया। 1 अप्रेल 2008 से इस योजना को राजस्थान के सभी 33 जिलों सहित पूरे देश में लागू कर दिया गया है। 02 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम को संशोधित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया।

तालिका 1

तालिका 1 राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा की प्रगति

क्रस	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	जाॅब कार्डधारी परिवारों की संख्या	98-46	99-36	95-24
2	कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या	36-87	42-21	46-35
3	कुल सृजित मानव दिवस (लाखों में)	1686-19	2341-24	2596-84
4	*1.* अनुसूचित जाति द्वारा सृजित मानव (लाखों में)	332-34	487-84	537-56

	2. अनुसूचित जनजाति द्वारा सृजित मानव दिवस (लाखों में)	444-95	566-04	579-36
	3. म्हिलाओं द्वारा सृजित मानव दिवस (लाखों में)	1150-97	1616-06	1740-61
4	*100* दिवस पूरे करने वाले परिवारों की संख्या	2-81	4-69	4-27
5	औसत रोजगार दिवस (प्रति परिवार)	46	55	56
6	व्यय राषि (रूपये करोडों में)	3252	3268-53	5152-21
7	औसत श्रमिक दर प्रति मानव दिवस	115	120	126

Source MGNREGA Website

तालिका 2

तालिका 2 राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा मे महिलाओं की भागीदारी

वित्तीय वर्ष	महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत	वित्तीय वर्ष	महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत
2006-07	67	2014-15	68
2007-08	69	2015-16	69
2008-09	67	2016-17	67
2009-10	67	2017-18	65
2010-11	68	2018-19	66
2011-12	69	2019-20	67
2012-13	69	2020-21	66
2013-14	68	2016-17	67

Source MGNREGA Website

राजस्थान में इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत महिलाओं की सहभागिता 33 प्रतिषत के न्यूनतम कानूनी मापदंड को पार कर चुकी है। महिलाओं की भागीदारी की राष्ट्रीय औसत दर 48 प्रतिषत से राजस्थान में भागीदारी दर बहुत अच्छी है। जिसे महिला सषक्तिकरण की दिषा में एक सशक्त बिंदु माना जा सकता है।

8. महिलाओं पर महात्मा गांधी नरेगा का प्रभाव

महात्मा गांधी नरेगा में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने की क्षमता है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है क्योंकि यह अपने निर्माण में लैंगिक रूप से संवेदनशील है। अधिनियम में विभिन्न प्रावधानों और दिशानिर्देशों के माध्यम से कानून यह कल्पना करता है कि महिलाओं को काम तक समान पहुंच, कार्यस्थल पर सकारात्मक स्थिति, मजदूरी का समान भुगतान और निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व मिले। महिला सशक्तिकरण और इसके लिए जिम्मेदार कारकों का आकलन करने के लिए राजस्थान के टोंक एवं बांसवाड़ा जिलों में केवल महिला परिवारों का चयन करके एक अध्ययन किया गया है। महिलाओं पर महात्मा गांधी नरेगा का प्रभाव जानने के लिए आकड़ों का संकलन, विश्लेषण और व्याख्या की गई है। सर्वेक्षण के परिणाम निम्नानुसार व्यवस्थित किए गए हैं, पहले खंड में, उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल प्रस्तुत की गई है। यह अनुभाग समंक विश्लेषण के परिणाम प्रस्तुत करता है और उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक और धारणा के साथ समाप्त होता है।

तालिका 3

तालिका 3 उत्तरदाताओं का उनकी आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा और व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण (संख्या =200)

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
	1. आयु वर्ग			2. षैक्षणिक योग्यता	

25 वर्ष से कम	12	6	निरक्षर	40	20
26 से 35	48	24	साक्षर	32	16
36 से 45	96	48	प्राथमिक	36	18
46 से 55	28	14	माध्यमिक	32	16
56 से अधिक	16	8	हाई स्कूल	40	20
कुल	200	100	और उपर	20	10
			कुल	200	100
3. वैवाहिक स्थिति			4. व्यवसाय		
विवाहित	176	88	किसान	166	83
अविवाहित	4	2	कृषि मजदूर	16	8
विधवा	20	10	गैर कृषि मजदूर	8	4
कुल	200	100	अन्य	10	5
विवाहित	176	88	कुल	200	100

स्रोत क्षेत्र सर्वेक्षण

तालिका 3 उनकी उम्र, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा और व्यवसाय के आधार पर नमूना परिवारों का वितरण प्रस्तुत करती है। जहां तक प्रतिभागियों के आयु समूहों का संबन्ध है, सबसे अधिक भागीदारी 36 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की है, जो 48 प्रतिशत है, उसके बाद 26-35 वर्ष और उसके बाद 46-55 आयु वर्ग की भागीदारी है। कुल मनरेगा श्रमिकों में से 88 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ हैं, इसके बाद विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएँ हैं, जो कुल प्रतिभागियों का लगभग 10 प्रतिशत हैं। उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति के आधार पर 20 प्रतिशत निरक्षर हैं, 20 प्रतिशत ने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की थी, 18 प्रतिशत ने प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी, 16 प्रतिशत ने माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी, अन्य 16 प्रतिशत साक्षर हैं और केवल 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाई स्कूल से ऊपर की शिक्षा पूरी की थी। व्यवसाय के संबंध में, 83 प्रतिशत उत्तरदाता छोटे और सीमांत किसान हैं, 8 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि श्रमिक हैं और केवल 4 प्रतिशत उत्तरदाता गैर-कृषि श्रमिक हैं।

8.1. आय के स्तर में परिवर्तन

मनरेगा परिवारों, विशेषकर महिला परिवारों को अधिनियम के प्रावधानों जैसे समान मजदूरी, काम तक समान पहुंच, विशिष्ट कार्य घंटे, कार्य स्थल सुविधाएं, समय पर मजदूरी आदि के साथ अपनी आय का स्तर बढ़ाने में सक्षम बनाता है। तालिका 3 में मनरेगा में भागीदारी से पहले और बाद में नमूना परिवारों के वार्षिक आय स्तर को प्रस्तुत किया गया है। गांव में मनरेगा में भागीदारी के बाद परिवारों के आय स्तर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

तालिका 4

तालिका 4 मनरेगा में भागीदारी से पहले और बाद में परिवारों का आय स्तर

परिवारों का आय स्तर (प्रति वर्ष)	मनरेगा में भागीदारी से पहले		मनरेगा में भागीदारी से बाद	
	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
10000 से कम	52	26	0	0
10001 से s 20000	116	58	0	0
20001 से 30000	28	14	8	4
30001 से 40000	14	2	8	4
40001 से 50000	0	0	40	20
50000 सेs अधिक	0	0	144	72
कुल	200	100	200	100

स्रोतः क्षेत्र सर्वेक्षण

तालिका 4 से स्पष्ट है कि मनरेगा से पहले 10,000 रुपये और 10,001-20,000 रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले परिवार क्रमशः 26 प्रतिशत और 58 प्रतिशत थे, जहां मनरेगा में भागीदारी के बाद समान आय स्तर वाले परिवार शून्य प्रतिशत थे। मनरेगा से पहले 20,001-30,000 रुपये और 30001 से 40000 रुपये प्रति वर्ष आय वाले परिवारों की संख्या क्रमशः 14 प्रतिशत और 2 प्रतिशत थी, जबकि मनरेगा में भागीदारी के बाद समान आय स्तर वाले परिवारों में से प्रत्येक 4-4 प्रतिशत थे। मनरेगा में भागीदारी से पहले 40001 से 50000 रुपये और 50000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक आय वाले परिवारों में प्रत्येक शून्य प्रतिशत थी, जबकि मनरेगा में भागीदारी के बाद समान आय स्तर वाले परिवारों की संख्या 20 प्रतिशत और 72 प्रतिशत थी। अधिकांश अध्ययनों ने इस तर्क का समर्थन किया कि मनरेगा में उनकी भागीदारी के बाद महिला परिवारों की आय का स्तर काफी बढ़ गया है।

8.2. उपभोग पैटर्न में परिवर्तन

मनरेगा ने लाभार्थियों के उपभोग पैटर्न पर काफी प्रभाव डाला है। उन्होंने बढ़ी हुई आय (मूल रूप से मनरेगा रोजगार से अर्जित) का उपयोग बेहतर कपड़े खरीदने, अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, बेहतर स्वास्थ्य और घरेलू संपत्ति खरीदने में करना शुरू कर दिया है।

तालिका 5

तालिका 5 मनरेगा में भागीदारी से पहले और बाद में घरेलू खपत पर खर्च की गई कुल आय का हिस्सा

मद	मनरेगा में भागीदारी से पहले		मनरेगा में भागीदारी से बाद	
	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
भोजन	136	68	68	34
कपड़ा	20	10	34	17
शिक्षा	40	16	52	26
स्वास्थ्य	12	06	22	11
घरेलू संपत्ति	00	00	24	12
कुल	200	100	200	100

स्रोत क्षेत्र सर्वेक्षण

तालिका 5 मनरेगा में भागीदारी से पहले और बाद में नमूना परिवारों द्वारा घरेलू खपत के लिए खर्च की गई कुल आय का हिस्सा प्रस्तुत करती है। मनरेगा से पहले भोजन पर खर्च की जाने वाली कुल आय का अनुपात 68 प्रतिशत था और मनरेगा में भागीदारी के बाद यह घटकर 34 प्रतिशत रह गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू संपत्तियों के प्रति उपभोग पैटर्न में काफी बदलाव आया है जो मनरेगा में भागीदारी से पहले क्रमशः 14 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत था और मनरेगा में भागीदारी के बाद यह क्रमशः बढ़कर 26 प्रतिशत, 11 प्रतिशत और 12 प्रतिशत हो गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा के माध्यम से महिलाओं द्वारा अर्जित बढ़ी हुई आय का बड़ा हिस्सा बच्चों के भोजन और शिक्षा पर खर्च किया जाता है।

8.3. बचत पैटर्न में बदलाव

मनरेगा में भागीदारी के माध्यम से आय में वृद्धि ने नमूना परिवारों को भविष्य के लिए अधिक बचत करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपनी बचत का पैटर्न भी बदलने के लिए प्रेरित किया। मनरेगा में भागीदारी के बाद परिवारों को बुनियादी वित्तीय साक्षरता के बारे में पता चला और उन्होंने बीमा जैसी आधुनिक वित्तीय परिसंपत्तियों पर बचत करना शुरू कर दिया और विभिन्न सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी बचत करना शुरू कर दिया।

तालिका 6

तालिका 6 मनरेगा में भागीदारी से पहले और बाद में परिवारों का बचत पैटर्न				
बचत का तरीका	मनरेगा में भागीदारी से पहले		मनरेगा में भागीदारी से बाद	
	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
बैंक खाता	80	40	40	20
बीमा	04	2	68	34
चिटफंड	76	38	08	04
स्वयं स्हायता समूह	40	20	32	16
सरकारी योजनाएँ	00	0	52	26
कुल	200	100	200	100

स्रोत क्षेत्र सर्वेक्षण

तालिका 6 मनरेगा में भागीदारी से पहले और बाद में नमूना परिवारों के बचत पैटर्न को प्रस्तुत करती है। मनरेगा में भागीदारी से पहले परिवारों की बचत के अधिमान्य तरीके बैंक खाता (40 प्रतिशत), चिटफंड (38 प्रतिशत) और स्वयं स्हायता समूह (20 प्रतिशत) थे। मनरेगा में भागीदारी के बाद उनकी बचत के अधिमान्य तरीके आधुनिक वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे बीमा (34 प्रतिशत) और विभिन्न सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (26 प्रतिशत) आदि की ओर बदल गए हैं। जिससे स्पष्ट पता चलता है कि केवल मनरेगा के कारण महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है और अधिकांश महिलाएँ कुछ पैसे बचाने में सक्षम हो रही है।

8.4. निवेश पैटर्न में बदलाव

मनरेगा में पति और पत्नी दोनों की भागीदारी के कारण परिवारों के समग्र आय स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप, उन्होंने इस आय का उपयोग विभिन्न भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे सोना खरीदने, नए घर के निर्माण पर निवेश, मवेशियों की खरीद और कृषि के लिए उपयोगी उपकरणों की खरीद पर निवेश करने के लिए करना शुरू कर दिया है।

तालिका 7

तालिका 7 मनरेगा में भागीदारी से पहले और बाद में परिवारों का निवेश पैटर्न				
निवेश का क्षेत्र	मनरेगा में भागीदारी से पहले		मनरेगा में भागीदारी से बाद	
	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
भूमि पर निवेश	124	62	12	6
सोने पर निवेश	0	0	44	22
घर/मकान पर निवेश	32	16	40	20
मवेशियों पर निवेश	32	16	60	30
कृषि उपकरणों पर निवेश	4	2	44	22
कोई अन्य	8	4	4	0
कुल	200	100	200	100

स्रोत क्षेत्र सर्वेक्षण

तालिका 7 से पता चलता है कि मनरेगा में भागीदारी से पहले और बाद में नमूना परिवारों का निवेश। मनरेगा से पहले परिवारों द्वारा निवेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्र जमीन (62 प्रतिशत), घर (16 प्रतिशत) और मवेशी (16 प्रतिशत) थे। मनरेगा में भागीदारी के बाद निवेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्र सोना (22 प्रतिशत), कृषि उपकरण (22 प्रतिशत), मवेशी (30 प्रतिशत) और घर (20 प्रतिशत) की खरीद की ओर बदल गए। स्पष्ट है कि मनरेगा के माध्यम से बढ़ी हुई आय ने गरीबों और महिलाओं को आय सृजन

गतिविधियों या संपत्तियों पर निवेश करने के अपने साधनों में सुधार किया है, जिससे वित्तीय समावेशन होता है।

8.5. घरेलू खर्च और बचत पर महिलाओं के निर्णय लेने में बदलाव

महिलाओं द्वारा अपने घरों में खर्च और बचत पर निर्णय लेना महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। इसे ध्यान में रखते हुए, नमूना परिवारों से भोजन, कपड़े, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू संपत्ति, परिवहन, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों और बचत जैसे घरेलू सामानों पर खर्च करने के निर्णय में बदलाव के बारे में पूछताछ की गई।

तालिका 8

तालिका 8 मनरेगा से पहले और बाद में खर्च और बचत पर महिलाओं का निर्णय लेना (प्रतिशत में)

क्रम सं	मद	मनरेगा में भागीदारी से पहले			मनरेगा में भागीदारी से बाद		
		स्वयं	पति	दोनां	स्वयं	पति	दोनां
1	भोजन स्वयं	44	20	36	88	2	10
2	वस्त्र	14	66	20	46	4	50
3	बच्चों की शिक्षा	30	48	22	52	6	42
4	स्वास्थ्य	50	18	32	78	10	12
5	घरेलू संपत्ति	18	72	10	50	14	36
6	परिवहन	20	58	22	54	8	38
7	सामाजिक और धार्मिक आयोजन	34	36	30	94	0	6
8	बचत	44	40	16	92	2	6

स्रोतः क्षेत्र सर्वेक्षण

तालिका 8 में मनरेगा में भागीदारी से पहले और बाद में घरेलू सामानों और बचत के लिए महिलाओं द्वारा खर्च करने के निर्णय लेने में परिवर्तन का अनुपात प्रस्तुत किया गया है। इससे पता चलता है कि विभिन्न घरेलू सामानों और बचत के लिए खर्च करने के निर्णय लेने में सकारात्मक बदलाव आया है, जिस पर परिवार में पहले पुरुष सदस्यों के वर्चस्व में था। यह यह बदलाव मनरेगा में प्राप्त मजदूरी के माध्यम से परिवार की आय में महिलाओं द्वारा किए गए योगदान के कारण हो सका है। स्पष्ट है कि मनरेगा में भागीदारी के बाद घरेलू वित्त और सामुदायिक मामलों में महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति में काफी वृद्धि हुई है।

8.6. महिला सशक्तिकरण की क्षमता का आकलन

क्षेत्रीय अध्ययन के माध्यम से मनरेगा की महिला सशक्तीकरण क्षमता का आकलन करने के लिए, निम्नलिखित कारकों पर विचार किया गया हैः

तालिका 9

तालिका 9 महिला सशक्तिकरण की क्षमता

महिला सशक्तिकरण कारक	मनरेगा में भागीदारी से पहले		मनरेगा में भागीदारी से बाद	
	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
बेहतर वित्तीय योजना और अनुषासन	26	13	140	70
खर्च करने और कमाई बचाने की स्वतंत्रता	40	20	160	80
साहूकारों और बैंकरों से मुक्ति	50	25	130	65
घरेलू सामान की खरीद पर निर्णय लेना	46	23	170	85

बच्चों की शिक्षा पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता	70	35	180	90
अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना	30	15	120	60
बैठकों/चर्चाओं में राय व्यक्त करना	42	21	108	54
सार्वजनिक रूप से बोलने की क्षमता	38	19	102	51
महिला श्रमिकों की शहरों की ओर होने वाले पलायन	50	25	184	92
मनरेगा से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।	48	24	190	95

स्रोत क्षेत्र सर्वेक्षण

तालिका संख्या 9 मनरेगा में भागीदारी से पहले और बाद में महिला सशक्तीकरण क्षमता के आकलन को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाएँ महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनके अंदर सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा दे रही हैं। मनरेगा महिलाओं के लिए रोजगार एवं उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मनरेगा में एक तिहाई (1/3) महिलाओं को कार्य में प्राथमिकता देने से यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। महात्मा गांधी नरेगा द्वारा सषक्त महिलाएं परिवार, समाज एवं राष्ट्र की रचना में अहम् भूमिका निभा रही है।

9. मनरेगा की समस्याएँ

1. कार्यस्थल पर समुचित सुविधा का अभाव 2. महिला श्रमिकों के अशिक्षित होने से मजदूरी भुगतान में मेटो के द्वारा गड़बड़ी की जाती है 3. महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ते का ज्ञान नहीं होता है। 4. महिला श्रमिकों को शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं होती है। 5. कार्य के सही अनुमान का अभाव 6. भुगतान में देरी 7. समय पर काम का अभाव 8. कार्यों की अनियमितता 9. मस्टर रोल में नकली प्रविष्टियां 10. पर्याप्त नियंत्रण का अभाव 11. कार्यस्थल पर मशीनों का प्रयोग 12. कार्यो में गुणवत्ता में कमी 13. पारदर्शिता का अभाव

10. सुझाव

1) केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा मनरेगा का बजट निष्चित समय पर जारी किया जाना चाहिए, ताकि श्रमिकों को समय पर भुगतान किया जा सके।
2) सरकार को ठेकेदार प्रणाली पर रोक लगाना चाहिए जिससे ग्रामीण परिवार अधिकाधिक लाभांवित हो सके।
3) ऐसे कार्य जो मशीन की सहायता से किए जाते हैं उन कार्यो पर रोक लगानी चाहिए ताकि ग्रामीण परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।
4) सरकार द्वारा किसी उच्च लेखाधिकरी से सामाजिक अंकेक्षण करवाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसे विसंगति को रोका जा सके।
5) कार्यस्थल पर समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए।
6) मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने का प्रयास करना चाहिए।
7) मजदूरी भुगतान संबंधी बैंको व डाकघरों के माध्यम से होने वाली कठिनाईयों को दूर करन के के लिए आधार कार्ड भुगतान प्रणाली के द्वारा भुगतान करना चाहिए।
8) उत्तरदाता मनरेगा के माध्यम से प्रदान किए गए कार्य दिवसों की संख्या से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए सरकार योजना के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करें।
9) उत्तरदाता वर्तमान मजदूरी से असंतुष्ट हैं। इसलिए सरकार मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी को बढ़ाया जाना चाहिए।

10) नरेगा में ग्रामीण मजदूरों द्वारा किए गए कार्य और प्राप्त भुगतान के बीच समय के अंतर को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
11) एक नियमित अंतराल में विशेषकर महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए।

11. निष्कर्ष

महिलाओं पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रभाव के संदर्भ में यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि इस योजना के क्रियान्वयन से महिलाऐं प्रगति के पथ पर अग्रसर हुई है, लाखों परिवारों की आशाएं एवं आंकाक्षाएं पूरी हुई है। महिलाओं को पुरूषों के समान पारिश्रमिक कमाने का अभूतपूर्व अवसर दिया है। आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होने पर महिलाओं को परिवार के आर्थिक मामलों में स्वायत्तता का अवसर भी मिला है। इस योजना को पूर्ण निष्ठा, कड़ी मेहनत एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ और कारगर ढ़ंग से क्रियान्वित्त किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन की दिशा में साहसिक कदम है, बेरोजगारी से संघर्ष कर रहे गरीबों के लिए वरदान बनी ''महात्मा गाँधी नरेगा'' योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी को जीने का सहारा उपलब्ध कराती है। यह योजना श्रम की महत्ता महिला सषक्तिकरण एवं मजदूरो के पलायन को रोकने में भी सहायक सिद्ध हुई है। अंत में इस योजना के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि मनरेगा महिलाओं की आत्मा है, महिलाओं का जीवन है, मनरेगा शरीर में धमनी की भांति है जो महिलाओं का जीवित रखती है।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Mahatma Gandhi NREGA Review 2013-14 Ministry of Rural Development, New Delhi p. 85

Singh U.P. and R.K. Garg 2012 Women Empowerment Various Dimensions, New Delhi p. 231

Sharma, Mahesh, Mahatma Gandhi NREGA, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2008

Mahatma Gandhi NREGA Review, Compilation of Research Studies on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 2006-2012

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Act Review 2006-2012

Gangadara Rao and Mohana Rao LK, (2011) "Women's Participation in India", Southern Economist, Vol. 50, pp-34-38

Gauhar, B. Ahangar (2014) Women Empowerment through MNREGA A Case Study of Block Shahabad of District Anantnag, Jammu and Kashmir, ISSN- 2277-1166, Vol. III

Ramesh, G. and Kumar, T. K. (2009), "Aspects of Rural Women Empowerment: A Case Study of Karimnagar District in Andhra Pradesh" Kurukshetra 58, 29-30

Dheeraj, C., Madhuri N. V. and Daimari A. (2013), Research Study on Factors Facilitating Women Participation in Mahatma Gandhi NREGA

Poonia, J. (2012) "Critical Study of MNREGA: Impact and Women Participation", International Journal of Human Development and Management Sciences, Vol.

Kar S (2013), Women Empowerment through MNREGA: Issues and Challenges, Orissa Review 2013/ February-March, pp. 76-80